नियम 24 : याचिका या अपील या दस्तावेज का पृष्ठांकन और छानबीन

(1) यदि जांच करने पर अपील, आवेदन या कोई अन्य दस्तावेत त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो ऐसे दस्तावेज को पक्षकार को नोटिस देने के पश्चात् अनुपालन के लिए वापस कर दिया जाएगा और यदि वापसी की तारीख से सात कार्य दिवस के भीतर अनुपालन करने में विफलता होती है, तो उसे रजिस्ट्रार के समक्ष रखा जाएगा जो उचित आदेश पारित कर सकता है।

(2) रजिस्ट्रार पर्याप्त कारण होने पर उक्त दस्तावेजों को सुधार या संशोधन के लिए उन्हें फाईल करने वाले पक्षकार को वापस कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए संबंधित पक्षकार को ऐसा उचित समय दे सकेगा जैसा वह आवश्यक समझे या अनुपालन के लिए समय बढ़ा सकेगा, जो किसी भी दशा में उक्त दस्तावेजों के फाईल किए जाने की तारीख से तीस दिन से अधिक नहीं होगा।

(3) जहां पक्षकार त्रुटि का दूर करने के लिए नियत समय के भीतर कोई कदम उठाने में असफल रहता है, वहां रजिस्ट्रार, कारणों को अभिलिखित करके, अपील या अभिवचन या दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकता है।

(4) जहां व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात रजिस्ट्रार पक्षकार द्वारा त्रुटियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है, वहां वह उसे त्रुटियों सहित अधिकरण की समुचित न्यायपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा और न्यायपीठ पक्षकार को सुनने के पश्चात अपील को रजिस्ट्रीकृत करना स्वीकार कर सकेगी या अपने विवेकानुसार उक्त अपील को अस्वीकृत कर सकेगी।